No. 8-41/2000-FC
Govt. of India
Ministry of Environment & Forests

Paryavaran Bhawan, CGO Complex,
Lodi Road, New Delhi-110 003.

July 31st, 2000

To,

The Secretary (Forests),
Govt. of Uttar Pradesh,
Lucknow.

Subject: Renewal of lease over 115.79 ha. of forest land for cultivation and utilisation of medicinal and aromatic plants in favour of M/s. Central Institute of Medicinal and Aromatic Plants, Lucknow, Uttar Pradesh.

Sir,

I am directed to refer to your letter No. 8378/14-2/99-145(79)/64 dated 15.8.2000 on the above mentioned subject seeking prior approval of the Central Govt. in accordance with Section-2 of the Forest (Conservation) Act, 1980 and to say that the proposal was discussed in Forest Advisory Committee meeting.

2. After careful consideration of the proposal of the State Govt. and on the recommendation of above mentioned Committee, the Central Govt. hereby conveys its approval under Section-2 of Forest (Conservation) Act, 1980 for renewal of lease over 115.79 ha. of forest land for cultivation and utilisation of medicinal and aromatic plants in favour of M/s Central Institute of Medicinal and Aromatic Plants, Lucknow, Uttar Pradesh for a period of 20 years subject to following conditions :-

i) The legal status of forest land shall remain unchanged.

ii) Penal compensatory afforestation will be raised over 0.86 acres of degraded forest land at the cost of user agency.

iii) Trees raised/planted in the project area for experimental purposes shall be felled only in accordance with the schemes of project authorities.

iv) No fresh forest area will be used by the project authority and ~~also~~ for non-forestry activities like construction of building, roads etc.

v) Naturally grown trees existing in the area shall not be felled.

vi) Encorachments on forest land by labourers engaged in the project will be checked.

....2/-

25

vii) The area will be not be used for any other purpose other than specified in the proposal.

viii) The State Govt. or CCF(Central), Regional Office, Lucknow may impose other conditions from time to time in the interest of conservation and development of flora and fauna in that area.

Yours faithfully,

(V.B. KUMAR)
ASSTT. INSPECTOR GENERAL OF FORESTS (FC)

Copy to :-

1. The PCCF, Govt. of Uttar Pradesh, Lucknow.
2. The Nodal Officer, O/o PCCF, Govt. of U.P., Lucknow.
3. The CCF(C), Regional Office, Lucknow.
4. RO(HQ), New Delhi.
5. User Agency.
6. Guard file.

V.B. Kumar [illegible]

(V.B. KUMAR)
ASSTT. INSPECTOR GENERAL OF FORESTS (FC)

पत्रांक: 328/1645 दि- 29-8-2[illegible]

प्रतिलिपि नोडल अधिकारी/[illegible]

[illegible]

संख्या–जी0आई0:– 485 /7–1–2002–800/2000

प्रेषक:–

श्री राजेन्द्र कुमार
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

नोडल अधिकारी एवं वन संरक्षक
भूमि सर्वेक्षण निदेशालय,
इन्दिरानगर फौरेस्ट कालोनी,
उत्तरांचल,देहरादून।

वन एवं पर्यावरण अनुभाग

देहरादूनः दिनांक जून 15, 2002

विषयः– जनपद–उधमसिंह नगर में केन्द्रीय औषधीय एवं सगंध पौधा संस्थान, लखनऊ के फील्ड स्टेशन, पंत नगर को पूर्व में दी गई 115.79 हे0 आरक्षित वन भूमि की लीज का कालातीत होने की तिथि से आगामी 20 वर्षो के लिये नवीनीकरण ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर आपके पत्र संख्याः–2816 /1–जी–609 (उधम0) दिनांक 15–6–2002 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय जनपद–उधमसिंह नगर में केन्द्रीय औषधीय एवं सगंध पौधा संस्थान, लखनऊ के फील्ड स्टेशन, पंत नगर को पूर्व में दी गई 115.79 हे0 आरक्षित वन भूमि की लीज का कालातीत होने की तिथि से आगामी 20 वर्षो के लिये नवीनीकरण की स्वीकृति भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पत्र संख्या–8–41/2002–एफ सी दिनांक 21–7–2000 में दी गई स्वीकृति तथा मा0 मंत्रि परिषद् के आदेश दिनांक 3–6–2002 के आधार पर निम्न शर्तो पर प्रदान करते हैः–

1. वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
2. प्रस्तावक विभाग उक्त भूमि का उपयोग केवल कथित प्रयोजन हेतु ही करेगा तथा वह उक्त भूमि अथवा उसके किसी भाग को किसी अन्य विभाग, संस्था अथवा अन्य व्यक्तियों को हस्तान्तरित नहीं करेगा।
3. प्रस्तावक विभाग के अधिकारी/कर्मचारी अथवा ठेकेदार या उक्त व्यक्तियों के अधीन या उनसे सम्बन्धित कोई भी व्यक्ति किसी भी वन सम्पदा को क्षति नहीं पहुंचायेंगें और यदि उक्त व्यक्तियों द्वारा वन सम्पदा को कोई क्षति पहुंचायी जाती है, अथवा कोई क्षति पहुंचती है तो उसके लिए सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा तदर्थ निर्धारित प्रतिकर, जो पूर्णतया अन्तिम एवं प्रस्तावक विभाग पर बाध्यकारी होगा, प्रस्तावक विभाग द्वारा देय होगा।
4. उक्त वन भूमि प्रस्तावक विभाग के उपयोग में तब तक बनी रहेगी, जब तक कि प्रस्तावक विभाग को उसकी उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता रहेगी। यदि प्रस्तावक विभाग को उक्त भूमि अथवा उसके किसी भाग की आवश्यकता न रहेगी तो यथास्थिति उक्त भूमि अथवा उक्त भूमि का ऐसा भाग जो प्रस्तावक विभाग के लिए आवश्यक न रहे, वन विभाग को बिना किसी प्रतिकर के भुगतान के वापस हो जायेगी।
5. परियोजना क्षेत्र में अनुसंधान प्रयोजन हेतु उगाये गये पेड़ों का पातन सक्षम प्राधिकारी की अनुमति प्राप्त होने के पश्चात एक निर्धारित योजना के तहत ही किया जा सकेगा।
6. प्रस्तावक विभाग द्वारा लीज पर दी गयी वन भूमि के अतिरिक्त अन्य वन भूमि का उपयोग नही किया जायेगा तथा वन भूमि पर कोई गैर वानिकी कार्य यथा– भवन निर्माण, सड़क निर्माण आदि कार्य नही किये जायेंगे।
7. लीज पर दी गई वन भूमि में प्राकृतिक रूप से उगे हुये वृक्षों का पातन नहीं किया जायेगा ।
8. परियोजना के अधिकारियों द्वारा इस बात का विशेष ध्यान रखा जायेगा कि परियोजना में कार्यरत मजदूरों द्वारा वन भूमि पर किसी प्रकार का अतिक्रमण न किया जाय।
9. वन विभाग तथा उसके अभिकर्ताओं को किसी भी समय जब वे आवश्यक समझें, हस्तान्तरित किये गये भूखण्ड पर प्रवेश करने व उसका निरीक्षण करने का अधिकार होगा।

10. परियोजना में कार्य करने वाले मजदूर तथा कर्मचारी अपनी ईंधन की आवश्यकता के लिए वनों को हानि न पहुंचायें इसके लिए प्रस्तावक विभाग ईंधन की लकड़ी अथवा अन्य वैकल्पिक ईंधन सामग्री उपलब्ध करायेगा ।
11. **प्रस्तावक विभाग के व्यय पर वन विभाग द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के उल्लघंन के फलस्वरूप 0.86 एकड़ वन भूमि में दण्डात्मक क्षतिपूरक वृक्षारोपण किया जायेगा।**
12. वन भूमि पर खड़े वृक्षों, यदि कोई हो और उनका पातन किया जाना नितान्त आवश्यक हो तो वह केवल उत्तरांचल वन विकास निगम द्वारा ही निस्तारित किया जायेगा।
13. प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रस्तावित योजना के निर्माण एवं तदपरान्त रख–रखाव के दौरान स्थानीय वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जायेगा ।
14. **मा0 मंत्रि परिषद् के अशासकीय पत्र संख्या–4/2/10/2002–सी0एक्स0 दिनांक 3–6–2002 द्वारा लिए गये निर्णय के अनुसार प्रस्तावक विभाग से वन भूमि का मूल्य नहीं लिया जायेगा व पूर्व की भॉति 1 रूपया प्रति एकड़ प्रति वर्ष की दर से लीज रेंट लिया जायेगा।**
15. **प्रस्तावक द्वारा उक्त शर्तो एवं अन्य सामान्य शर्तो को सम्मिलित करते हुए एक पट्टा विलेख का आलेख्य प्रस्तुत किया जायेगा, जिसे शासकीय हस्तान्तरक से विधीक्षित करवाया जायेगा। ऐसे पट्टा विलेख के विधीक्षण हेतु न्याय (कन्वेयसिंग) कोष्ठक के शासनादेश संख्याः 198/7–जी–सी–89–3–89, दिनांक 19–6–89 के अनुसार निर्धारित विधीक्षण शुल्क विलेख विधीक्षण से पूर्व लेखाशीर्षक–'0070'–अन्य प्रशासनिक सेवायें–01–न्याय प्रशासन–501–सेवायें और सेवा फीस–01–की गई सेवाओं के लिए भुगतान की उगाही के अन्तर्गत ट्रेजरी में जमा कर ट्रेजरी चालान की प्रति पट्टा विलेख के आलेख्य के साथ उपलब्ध करायी जायेगी।**
16. मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय), क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ तथा राज्य सरकार द्वारा वनो एवं वन्य प्राणियों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिये समय–समय पर लगाये जाने वाली शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

भवदीय,

(राजेन्द्र कुमार)
अपर सचिव

संख्या– 485 /7–1–2002–800/2000 दिनांकित ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. सचिव, भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, पर्यावरण भवन, सी0जी0ओ0काम्पलेक्स, लोदी रोड़, नई दिल्ली।
2. मुख्य वन सरंक्षक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, मध्य क्षेत्र, बी–1/72 सैक्टर (के), अलीगंज, लखनऊ।
3. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तरांचल प्रकोष्ठ, इलाहाबाद।
4. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्य मंत्री जी, उत्तरांचल शासन।
5. निजी सचिव, मा0 वन मंत्री जी, उत्तरांचल शासन।
6. जिलाधिकारी, उधमसिंह नगर।
7. प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी।
8. श्री सुमनप्रीत सिंह खनूजा, निदेशक, केन्द्रीय औषधीय एवं सगंध पौधा संस्थान, कुकरैल पिकनिक स्पॉट रोड, पी0ओ0–सिमैप, लखनऊ–226015

आज्ञा से

(राजेन्द्र कुमार)
अपर सचिव

Copy of Van (Kha) Vibhag, G.O. No. 4719/XIV-B dated Sept. 19, 1964 fxx to the C.C.F., U.P

***

Subject: Grant of land to Central Indian Medicianl Plants Org. for large scale development of medicinal and aromatic plants in U.P.

With reference to your letter no. 5364/16-18 (Pt.B) dated June 2, 1964 on the above subject, I am directed to convey the sanction of the Governor to the lease of 300 acres of forest land in Khatima Block of T&B Division to the Central Indian Medicinal Plants Org. Lucknow for a period of 25 years on an annual rental of Rs.1/- per acre for large scale development ~~annual rental of~~ of medicinal and aromatic plants on the following terms and conditions:-

(a) The land will be utilized for the specific purpose for which lease is granted and the land will revert to the Forest Deptt. if not required by the Central Indian Medicinal plants Org.with all the immovable property without payment of any compensation.

(b) The Central Indian Medicinal plants Org. will render free adv advice to the forest Deptt. U.P. and other Govt. departments of the state in all aspects of medicinal herbs and Shrubs etc. and shall intimate their research programme and research results from time to time.

(c) The land will be handed over to the Central Indian Medicinal Plants Org. after clearance of forest growth. If Central Indian Medicinal Plants Org. want any trees to,remain there they shall pay for those trees at market rates.

(d) The Central Indian medicinal plants Org. will fence the area as and when necessary in order to avoid social difficulties.

2- A draft lease deed may please be submitted to Govt. for approval and the lessee may please be asked to deposit Rs. 32/- as conveyancing fee under the Head of Account "XVII-Administration of Justice-Misc. D-Fees received by Govt. servants for work done for privat bodies" and to send a receipted copy of the Treasury chalan to Govt. conveyancer direct.

Copy forwarded to:-

2- The C.F.W.C., U.P. for information and necessary action.

By order

Sd/- O.P. Mathur,

OFFICE OF THE C.F.W.C., U.P.

R. No. 1835/16-6 (Drug), dated Nainital Oct. 20, 1964.

Copy forwarded to DFO T&B for information and necessary action in continuation of this office no. 596/16-6(Drug) dated 8-9-64 The draft lease deed should be drawn after incorporating the above conditions and submitted to this office in duplicate for submission to Govt. in due course. Action on para (1) of the above G.O. also be taken and intimated to this office.

The CIMPO authorities should also be asked to deposit Rs. 32/- as conveyancing fee and compliance reported to this office. Action to auction ~~of~~ the trees on the land should also be taken as intimated by him in his letter no. 482/5-7 dated 3.8.1964.

Sd/- ~~xxP. xxxxx~~ For C.F.W.C., U.P

-2-

OFFICE OF THE DIVISIONAL FOREST OFFICER, T. & B. FOREST DIVISION

No. 1852/5-7 Dated Haldwani Oct. 23, 1964.

Copy forwarded to Sri B.C. Gulati, Northern Zonal Central C.I.M.P.C., Bhotiaparao Haldwani for favour of taking necessary action. The trees in the ~~250~~ 250 acres plot to be handed over to him have been sold by auction and clearance will be made by Feb.'65 next. He is also requested to move his department for completing necessary formalities in respect of the lease.

(U.S. Bora)
Divisional Forest Officer,
T. & B. Forest Division

Copy to R.C. Haldwani for information ~~and~~ getting the area cleared early. The trees not to be felled will be required to be enumerated diam. wise for assessing their value. He will submit the list by the end of next month positively.

(U.S. Bora)
Divisional Forest Officer,
T. & B. Forest Division.

Tewari/23/10/

Copy forwarded to DFO T&B for information and necessa action in continuation of this office no. 596/16-6(Drug) dated 8-9- The draft lease deed should be drawn after incorporating the above conditions and submitted to this office in duplicate for submissior to Govt. in due course. Action on para (1) of the above G.O. also taken and intimated to this office.

The CIMPC authorities should also be asked to deposit Rs. 32/- as conveyancing fee and compliance reported to this office Action to auction ~~of~~ the trees on the land should also be taken as intimated by him in his letter no. 482/5-7 dated 3.8.1964.